

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 99 सन 2019

अनवान :-

1. शिशपाल पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

बनाम

1. खेतपाल पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. महीपत पुत्र जीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. सुभाष पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. विनोद पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. ओमप्रकाश पुत्र चानणमल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 12.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 20/78 के प0न0 340/444(63) के किला न0 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, 10/0.253, 11/0.0510 हैक 12/0.0600 हैक 13/0.1390 हैक 14/0.1640 हैक कुल 1.6820 हैक जिसके खेतपाल, शिशपाल पि0 निकुराम खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 15/16 के प0न0 339/440(2) के किला न0 12/0.1520 हैक, 13/0.0880, 14/0.0630, 17 ता 25, 1.265 हैक, कुल 1.568 हैक भूमि स्थित है जिसके खेतपाल शिशपाल पुत्र निकुराम एवं रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 205/171 के प0न0 354/438(71) के किला न0 17/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 20/0.253, 21 ता 24/1.0120 हैक प0न0 353/438 (72) के किला न0. 16 ता 18, 23 ता 25 कुल 1.518 हैक प0न0 353/439(87) के किला न0 3 ता 9, 12 ता 15/2.2770 हैक प0न0 354/439(88) के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10/1.518 हैक कुल 7.3370 हैक जिसमें खेतपाल निकुराम शिशपाल पुत्र निकुराम बहिब 1/3 हिस्सा, महीपत पुत्र जीराम 1/9 हिस्सा, महेन्द्र पुत्र रामदयाल 1/9 हिस्सा, सुभाष पुत्र काशीराम 1/9 हिस्सा, विनोद पुत्र साहबराम 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है, रोही मौजा 25 डीपीएन के खाता संख्या 10/14 के प0न0 338/439(54) के किला न0 23/0.253, 24/0.253, 25/0.228, प0न0 339/440(62) के किला न0 1/0.228, 2/0.227, 9/0.1640, 10/0.1520 प0न0 0 मु0न0 83/2 की 0/1 की 0.1770 हैक गै0मु0खाला कुल 1.6820 हैक भूमि जिराके ओमप्रकाश पुत्र चानणराम अकेला 0.304 हैक सुभाष

शिशपाल

नोहर खातेदार काश्तकार है।

de

काशीराम , ओमप्रकाश खेतपाल पि0 निकुराम बहिब 0.841हैक जाति जाट साकिन दिपलाना खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता मुश्तरका है एवं वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा की भूमि का उपजाउ बना रखी हे व अपने हक हिस्सा के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है अर्थात वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर रखा है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर भूमि काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है वादी का कथन है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य बाहमी बटवारा किया जा चुका है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज की जावे वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना चाहिये किया व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है इसप्रकार मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार आपसी सहमति से खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी भी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी शिशपाल के पास रोही मौजा चक 24 डीपीएन के खाता संख्या 15/16 की कुल तादादी 1.5680हैक एवं रोही मौजा चक 12 बाराणी के खाता संख्या 205/171 के प0न0 354/438(71) के किला न0 17 ,24 ,/0.506हैक किला न0 23/2 की 0.2110हैक प0न0 354/439 (88) के किला न0 3 ,8/0.506 हैक कुल 1.223हैक भूमि एवं रोही मोज चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 10/14 के प0न0 339/440(62) के किला न0 2/0.227 ,9/0.164हैक 1/2 की 0.0542हैक 10/2 की 0.0543हैक कुल किता 4 की 0.4995हैक व खाला 0.035हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 खेतपाल के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 20/78 की कुल तादादी 1.6820 हैक भूमि रहेगी एवं चक 12 बाराणी के खाता संख्या 205/171 के प0न0 354/71 के किला न0 23/1 की 0.0420 , 18/0.253 ,19/1 की 0.232हैक 22/2 0.232 , प0न0 354/439 (88) के किला न0 2/2 की 0.232हैक किला न0 9/1 की 0.232 हैक किता 5

खेतपाल

नोहर खातेदार काश्तकार है।

मे

की 1.223हैक व रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 10/14 के प0न0 339/440(62) के किला न0 1/1 की 0.1738हैक , किला न0 10/2 की 0.0977 हैक कुल तादादी 0.2715हैक व खाला 0.035हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 महीपत के पास रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 205/171 के प0न0 353/438(72) के किला न0 17/2 की 0.1687 हैक भूमि एवं किला न0 18,23/0.506 हैक किला न0 24/1 की 0.1687 हैक व प0न0 353/439(87) के किला न0 3/0.253हैक 4/1 की 0.1688 हैक 7/2 की 0.1688हैक 8, 9/0.506हैक 12, 13/0.506हैक कुल 11 कित्ता 2.446हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 महेन्द्र के पास रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 205/171 के प0न0 358/438(72) के किला न0 17/1 की 0.0843हैक 24/2 की 0.0843हैक , 16/1 की 0.1195हैक 25/2 की 0.1195हैक , प0न0 353/439(87) के किला न0 4/2 की 0.842हैक 7/1 की 0.0842हैक 5/1 की 0.1195हैक 6/2 की 0.1195हैक कुल 0.815हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 सुभाष के पास रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 205/171 के प0न0 353/438(72) के किला न0 16/2 की 0.1355हैक , 25/0.1355हैक , प0न0 354/438(71) के किला न0 20/2 की 0.0703हैक 21/1 की 0.0703हैक , प0न0 353/439(87) के किला न0 5/2 की 0.1355हैक 6/1 की 0.1355हैक प0न0 354/439 (88) के किला न0 1/1 की 0.0702हैक 10/2 की 0.0702हैक कुल कित्ता 0.815हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 5 विनोद कुमार के पास रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 205/171 के प0न0 354/438(71) के किला न0 19/2 की 0.021हैक ,22/1 की 0.021,20/1 की 0.1827हैक ,21/2 की 0.1827 प0न0 354/439(88) के किला न0 2/1 की 0.021हैक 9/2 की 0.021हैक 1/2 की 0.1828हैक ,10/1 की 0.1828 , कुल 0.815हैक , बारानी प्रथम एवं रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 10/14 के शेष खाता के प0न0 338/439(54) के किला न0 23,24/0.506,25/0.226हैक , प0न0 0 मु0न0 83/2 के किला न0 0/1 की 0.1770हैक कुल 0.734हैक खाला 0.107हैक कुल तादादी 0.841हैक भूमि में औमप्रकाश पुत्र चानणमल 0.304हैक सुभाष पुत्र काशीराम 0.117हैक , साहबराम पुत्र रामदयाल 0.420हैक भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सबल 100/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

S. Aridh
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

शेखपाल

नोहर खातेदार काश्तकार है।

ne